रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2007/आश्विन 2, 1929
No. 280] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2007/ASVINA 2, 1929

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2007

सं. ओ. आई. 11014/1/2006-डीएस.—राष्ट्रपति, भारत सरकार की दिनांक 15 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 1/5/2002-पब्लिक और दिनांक 26 मई, 2006 की ओ. आई. 11014/5/2006-डी. एस. का अतिक्रमण करते हुए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार स्थापित करते हैं और इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इस पुरस्कार का नाम "प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार" होगा।

2. ये पुरस्कार उन अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों अथवा अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के संगठन/संस्था को प्रदान किए जाएंगे, जिन्होंने :–

(क) विदेशों में भारत की बेहतर जानकारी और भारत के हितों और सरोकारों के प्रति सुनिश्चित रूप से उल्लेखनीय योगदान किया है;

(ख) भारतीय मूल के व्यक्तियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है;

(ग) भारत और विदेशों में लोकोपकारी और धमार्थ कार्य में तथा सामाजिक और मानवीय हितों के लिए उल्लेखनीय योगदान किया है;

(घ) आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारत और इसके मूल के व्यक्तियों के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है;

(ङ) जिसने किसी क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य में प्रमुखता प्राप्त की है जिससे उस देश में जहां वह रहता है, भारत का सम्मान बढ़ा है; अथवा

(च) जो अपने कौशल में प्रमुख है जिससे उस देश में भारत का सम्मान बढ़ा है (गैर व्यावसायिक कामगारों के लिए) ।

3. प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार स्थापित हो जाने पर अनिवासी भारतीयों एवं भारतीय मूल के व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने के बारे में विचार किया जाता रहेगा । पद्म पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए भी पात्र होंगे ।

4. प्रति वर्ष पुरस्कारों की अधिकतम संख्या पन्द्रह (15) होगी ।

5. इस पुरस्कार में भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर द्वारा जारी द्विभाषी प्रशस्ति पत्र के अतिरिक्त एक प्रशंसात्मक उल्लेख और एक स्वर्ण-पदक दिया जाएगा ।

6. ये पुरस्कार यथासंभव प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस पर 09 जनवरी को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाएंगे ।

7. ये पुरस्कार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री, इनमें से जो भी उपलब्ध हो, द्वारा प्रदान किए जाएंगे ।

8. सुयोग्य व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं का नामांकन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा :—

(क) विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों के प्रमुख ।

(ख) संसद की प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय संबंधी स्थाई समिति के अध्यक्ष ।

(ग) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रमुख प्रवासी भारतीय संस्थाएं ।

(घ) प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्तकर्ता ।

9. प्रस्तावित नामिति यह प्रख्यापन देगा/देगी कि वह पुरस्कार प्राप्त करने का इच्छुक है और भारत आकर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उसका स्वास्थ्य ठीक है ।

10. जूरी-एवं -पुरस्कार समिति द्वारा स्वत: कोई नामांकन नहीं किया जाएगा ।

11. जूरी-एवं-पुरस्कार समिति के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित अधिकारियों की एक समिति सिफारिशों की सूची में से चुनाव करेगी ।

12. चुने गए नामांकनों को जूरी-एवं-पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसका गठन निम्न प्रकार होगा :–

(क) भारत के उपराष्ट्रपति	–अध्यक्ष
(ख) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री	–उपाध्यक्ष
(ग) प्रधान मंत्री के प्रधान सचित	–सदस्य
(घ) गृह सचिव	–सदस्य
(ङ) विदेश सचिव	–सदस्य
(च) प्रधानमंत्री द्वारा नामित किये जाने वाले पांच सदस्य	
(छ) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिव	–सदस्य सचिव

13. जूरी-एवं-पुरस्कार समिति की सिफारिश प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

14. जिन व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा उनके नाम पुरस्कार दिए जाने वाले दिन से पूर्व भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

15. ये पुरस्कार मरणोपरान्त नहीं दिए जाएंगे सिवाय ऐसे बिरले मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कार की घोषणा से पहले एक वर्ष के भीतर हुई हो

16. पुरस्कार प्राप्तकर्ता के संबंध में बाद में कोई प्रतिकूल जानकारी ध्यान में आने पर राष्ट्रपति पुरस्कार को रद्द/निष्प्रभावी कर सकते हैं ।

जी. गुरूचरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2007

No. OI-11014/1 2007-DS.—The President is pleased to institute the Pravasi Bharatiya Samman Award in supersession of the notifications of the Government of India numbers 1/5/2002-Public, dated the 15th November, 2002 and OI-11014/5/2006-DS, dated the 26th May, 2006 and for that purpose makes the following regulations, namely:—

1. The Award shall be known as ''Pravasi Bharatiya Samman Award''.
2. The Award shall be conferred on a Non-Resident Indian, Person of Indian origin or an organization or institution established and run by the Non-Resident Indians or Persons of Indian Origin, who has made–
   (a) significant contribution towards better understanding abroad of India and support to India's causes and concerns in a tangible way;
   (b) significant contribution for the welfare of diaspora;
   (c) notable contribution in philanthropic and charitable work and for social and humanitarian causes in India and abroad;
   (d) significant contrubution in building closer links between India and its diaspora in the economic, cultural and scientific fields;
   (e) eminence in one's field for outstanding work which has enhanced India's prestige in the country of residence; or
   (f) eminence in his skills which has enhanced India's prestige in that country (for non-professional workers).
3. With the institution of Pravasi Bharatiya Samman Awards, Non-Resident Indians and Persons of Indian Origin shall continue to be considered for Padma Awards and Padma Awardees shall be eligible for Pravasi Bharatiya Samman Award.
4. The maximum number of Awards each year shall be fifteen (15).
5. The Award shall carry a bilingual Sanad under the hand and the seal of the President of India in addition to a citation and a gold medallion.
6. The Awards shall be presented at a formal ceremony to be organised by the Ministry of Overseas Indian Affairs, as far as possible, at the Pravasi Bharatiya Divas on 9th January every year.
7. The Awards shall be presented either by the President, Vice-President or Prime Minister depending upon the availability of these dignitaries.
8. The nominations of deserving persons, organizations or institutions shall be made by the following : —
   (a) Heads of Indian Diplomatic Missions abroad.
   (b) Chairman of the Department Related Parliamentary Standing Committee of the Ministry of Overseas Indian Affairs.
   (c) Prominent Overseas associations with nation-wide character as may be decided by the Ministry of Overseas Indian Affairs.

(d) Awardees of Pravasi Bharatiya Samman Award.

9. The proposed nominee shall give a declaration that he is willing to receive the award and that he is in sound health to be able to come to India to receive the award.

10. There shall be no *suo motu* nomination by the Jury-cum-Awards Committee.

11. A Committee of officers, constituted by the Ministry of Overseas Indian Affairs, shall shortlist the recommendations to facilitate the work of the Jury-cum-Awards Committee.

12. The short listed nominations shall be placed before the Jury-cum-Awards Committee comprising of:

(a) Vice President on India —Chairman

(b) Minister of Overseas Indian Affairs —Vice-Chairman

(c) Principal- Secretary to the Prime Minister —Member

(d) Home Secretary —Member

(e) Foreign Secretary —Member

(f) Five members to be nominated by the Prime Minister

(g) Secretary, Ministry of Overseas Indian Affairs —Member-Secretary

13. The recommendation of the Jury-cum-Awards Committee shall be submitted to the Prime Minister and President for approval.

14. The names of the persons, upon whom the award is conferred, shall be published in the Gazette of India prior to the day of presentation of the awards.

15. The Awards shall not be given posthumously except on very rare cases where the person had died within a year preceding the announcement of the awards.

16. The President may cancel and annul an Award in the event of any adverse information on the awardees coming to light subsequently.

G. GURUCHARAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.